238

संख्या–/XV–2/10(01)/2013

प्रेषक,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादून, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014:

विषयः–टिहरी जलाशय की प्रबंध व्यवस्था एवं मत्स्य आखेट नीलामी हेतु आवश्यक शर्तो के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–530/XV-2/6(20)/2004, दिनांक 09 अगस्त, 2012 के कम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड स्थित टिहरी जलाशय की प्रबंध व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

उत्तराखण्ड में स्थित टिहरी जलाशय की प्रबंध व्यवस्था सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून द्वारा की जायेगी।

1. मत्स्य शिकारमाही प्रकिया/उत्तराखण्ड स्थित टिहरी जलाशय की प्रबंध व्यवस्था में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 एवं उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबन्धन मत्स्य पालन एवं संग्रहण नियमावली, 2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा मत्स्य शिकारमाही हेतु ठेका निविदा पद्धति से कराया जायेगा।
2. निविदाएं अम्मंत्रित करने की सूचनाएं व्यापक प्रचार–प्रसार वाले स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा एन0आई0सी0 की बेवसाइट पर प्रसारित की जायेगी।
3. टिहरी जलाशय के ठेके को अवधि 5 (पांच) वर्ष होगी तथा अवधि की गणना आगामी 01 जुलाई से 30 जून तक की अंवधि को सम्मिलित कर दी जायेगी। सील बन्द निविदाएं मुख्यालय देहरादून में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/ई–टैण्डरिंग/स्वंय उपस्थिति द्वारा अथवा निविदाताओं द्वारा स्वंय डालकर प्राप्त की जायेगी तथा ये निविदायें गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। समिति का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
4. निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदाताओं द्वारा निविदा की शर्तो की सहमति हेतु सहमति पत्र, धरोहर की धनराशि तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र तथा रू0 100 का स्टाम्प पेपर (अनुबन्धित) निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, ऐसा प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने पर सम्बन्धित निविदादाता की निविदा को नहीं खोला जायेगा एवं उन निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. टैण्डर सह नीलामी पूर्ण होने पर निविदा/उच्चतम बोली वाले ठेकेदार को नीलामी की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी स्थल पर एवं बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा नगद रूप में तत्काल ही जमा करनी होगी। शेष 75 प्रतिशत का भुगतान सम्बधित वर्ष के माह सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के अंत तक तीन समान किश्तों में करना अनिवार्य होगा।

6. मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को पृथक से कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।
7. निविदाओं को खोले जाने तथा इन पर विचारोपरान्त निर्णय हेतु निम्नलिखित समिति प्रस्तावित की गई है :–

(अ) सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून – अध्यक्ष
(ब) जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो अपर जिलाधिकारी स्तर से अन्यून हो। – सदस्य
(स) अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून हो। – सदस्य
(द) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अधीक्षक अभियन्ता से अन्यून हो – सदस्य
(य) प्रबंध निदेशक,टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (THDC) अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अधीक्षक अभियन्ता से अन्यून हो। – सदस्य
(य) उप निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून– सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति की संस्तुति के आधार पर जलाशयों के मात्स्यिकी प्रबंध व मत्स्य निकासी के ठेके की स्वीकृति संबंधी आदेश शासन की स्वीकृति के उपरान्त निदेशक मत्स्य द्वारा निर्गत किया जायेगा।

अतः उक्त प्रबंध व्यवस्था/आवश्यक शर्तो के अधीन अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अनुबन्धों की शर्ते पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
सचिव।

संख्या–703 (1) /XV–2/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रबंध निदेशक, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (THDC)।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री, मत्स्य को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या–703/XV–2/10(01)/2013, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 का संलग्नक

अनुबन्ध की शर्ते

1. टिहरी जलाशय के ठेके की अवधि पांच वर्ष होगी तथा अवधि की गणना आगामी 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी। प्रथम वर्ष की अवधि स्वीकृति की दिनांक से प्रारम्भ होकर 30 जून तक मानी जायेगी। प्रत्येक वर्ष की निविदा के मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्वि ठेकेदार द्वारा देय होगी।
2. उच्चतम बोली/टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/समिति को अधिकतम दो सप्ताह के भीतर अनुबंध पत्र पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. ठेकेदार द्वारा नियमानुसार स्टाम्प पंजीकरण अधिनियम के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी संदत्त की जायेगी तथा तद्नुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र निविदाकर्ता व सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के द्वारा निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध की मूल प्रति सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून की अभिरक्षा में रखी जायेगी। अनुबन्ध पत्र में किश्त जमा करने के पूर्ण विवरण की प्रविष्टि समय सारिणी सहित सुनिश्चित की जायेगी।
4. निविदा डालते समय निविदा के साथ आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत अग्रिम धनराशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो कि सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के पक्ष में बंधक हो, के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा, तथा सफल निविदादाता को निविदा धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा। 25 प्रतिशत धनराशि जमा न कर पाने की दशा में अग्रिम की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। सफल निविदादाता द्वारा पांच वर्षों की कुल निविदा धनराशि का 5 प्रतिशत जमानत धनराशि सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के पक्ष में एन0एस0सी0 या एफ0डी0आर0 के माध्यम से अनुबन्ध पत्र के साथ, सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून की उपस्थिति में जमा किया जायेगा।
5. टैण्डर सह नीलामी पूर्ण होने पर निविदा/उच्चतम बोली वाले ठेकेदार को नीलामी की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी स्थल पर तत्काल ही जमा करनी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान समान किस्तों में सम्बन्धित वर्ष के माह सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के अन्त में अनिवार्यतः करना होगा। द्वितीय वर्ष के लिए ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की धनराशि तथा तृतीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत की धनराशि की वृद्धि ठेकेदार द्वारा देय होगी। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में निर्धारित समय सारणी के अनुसार ठेकेदार को देय वार्षिक धनराशि की एक चौथाई (1/4) धनराशि 30 जून तक, एक चौथाई धनराशि 30 सितम्बर तक, तथा एक चौथाई धनराशि 31 दिसम्बर तक जमा करते हुए शेष धनराशि 31 मार्च तक अनिवार्यतः जमा करनी होगी।
6. निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त अनुबन्ध से पूर्व ठेके की एक वर्ष की धनराशि के बराबर धनराशि निविदादाता ठेकेदार द्वारा बैंक गारण्टी के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के नामें जमा किया जायेगा और अगले वर्ष शिकारमाही की अनुमति बैंक गारण्टी की उक्त धनराशि के जमा करने के उपरान्त ही दी जायेगी। बैंक गारण्टी की अवधि कम से कम एक वर्ष होगी। यदि ठेकेदार द्वारा प्रत्येक वर्ष ठेके की निर्धारित किस्तों का भुगतान निर्धारित समय सारणी में किया जाता है तो उक्त

बैंक गारण्टी की धनराशि को आगामी वर्ष हेतु समायोजित किया जायेगा और इस प्रकार समायोजित बैंक गारण्टी की धनराशि के अतिरिक्त आगामी वर्ष में ठेकेदार द्वारा मात्र आगामी वर्ष की निविदा के मूल्य में 10 प्रतिशत की देय वृद्धि के बराबर की धनराशि की बैंक गारण्टी उक्तानुसार जमा की जानी होगी।

7. यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किस्त जमा करने हेतु निर्धारित तिथि अर्थात दिनांक 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च को निर्धारित किस्त जमा नहीं की जाती है तो सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून, के नामे राष्ट्रीकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से उक्त लम्बित किस्त का समायोजन किस्त जमा करने हेतु निर्धारित तिथि से अगले दिन और यदि अगला दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो उसके ठीक दूसरे दिन, प्रत्येक दशा में जमा किया जायेगा। यह दायित्व सम्बन्धित टिहरी जलाशय प्रभारी व उनके नियंत्रक अधिकारी यथा सहायक निदेशक एवं उप निदेशक का होगा।
8. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो शासकीय धन की क्षति के लिए उत्तरदायित्व मानते हुए सम्बन्धित प्रभारी एवं अधिशासी प्रबंधक/उपनिदेशक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी और इस तथ्य या उल्लेख उसकी आगामी वर्ष की चरित्र पंजिका में भी अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. ठेकेदार/समिति को अनुबंध के समय पांच वर्षों की नीलामी की कुल धनराशि की पांच प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 अथवा एन0एस0सी0 के रूप में सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के पक्ष में जमा करनी होगी।
10. ठेकेदार/समिति को अनुबन्ध के अनुसार पूरे पांच वर्षों तक ठेका चलाना होगा। ठेके की अवधि समाप्त होने के छः माह उपरान्त जमानत धनराशि वापस की जायेगी। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा मध्य में ही ठेका छोड़ दिया जाता है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और यदि जमानत धनराशि जब्त करने के उपरान्त भी ठेकेदार/समिति पर ठेके की देय धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के नामें राष्ट्रीयकृत बैक में जमा बैंक गारण्टी में से समायोजित कर किया जायेगा।
11. यदि किसी ठेकेदार पर ठेके से सम्बन्धित कोई धनराशि बकाया रह जाती है तो उक्त धनराशि को भू–राजस्व के समान वसूली का अधिकार प्रशासनिक विभाग को होगा। पूर्व में मत्स्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अन्तर्गत कार्य कर चुके ऐसे ठेकेदार, जिनके द्वारा अपनी कार्य अवधि के दौरान विभागीय निविदा शर्तो का उल्लघंन किया गया हो अथवा जिन पर विभागीय देय धनराशि बकाया हो, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
12. सम्बन्धित जलाशयों के मत्स्य प्रभारियों के कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन हेतु नियंत्रक अधिकारी उप निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून होंगे।
13. टिहरी जलाशय के प्रतिबन्धित एवं जनसहभागिता से स्वरोजगार एवं पर्यटन को बढावा देने हेतु चिन्हित भाग को छोडकर जलाशय के शेष भाग में नीलामी से मत्स्य आखेट का कार्य किया जायेगा।

14. नीलामी से मत्स्य आखेट किये जाने हेतु क्षेत्रफल के आधार पर बीट संख्या–1, 2, 3, 4 एवं 5 पर आखेट किये जाने की अनुमति होगी। उक्त बीटों का क्षेत्रफल निम्नानुसार है :–

(क) **बीट संख्या–1** चिन्यालीसौड से स्यांसू–लम्बाई 9 किमी0, चौडाई औसतन 0.5 किमी0 0 क्षेत्रफल लगभग 4.5 वर्ग किमी0 है।

(ख) **बीट संख्या–2** स्यांसू से डोबराचांटी–लम्बाई लगभग 8 किमी0 एवं औसतन 1 किमी0 चौड़ाई मे फैला हुआ है। बीट का क्षेत्रफल लगभग 8 वर्ग किमी0 है।

(ग) **बीट संख्या–3** डोबराचांटी से लेकर बॉध से 2 किमी0 दूरी छोड़कर (कोटी) – इस बीट की लम्बाई लगभग 5 किमी0 व चौडाई औसतल 1.5 किमी0 है। बीट का क्षेत्रफल लगभग 7.5 वर्ग किमी0 है।

(घ) **बीट संख्या–4** पीपलडाली से लेकर बांध से 2 कि0मी0 दूरी छोडकर (मदननेगी)–इस बीट लम्बाई लगभग 6 किमी0 व औसतन चौडाई 1.2 किमी0 एवं क्षेत्रफल लगभग 7.2 वर्ग किमी0 है।

(ड़) **बीट संख्या–5** पीपलडाली से पिल्खी– इस बीट की लम्बाई लगभग 8 किमी0 व औसत लम्बाई 0.5 किमी0 एवं बीट का क्षेत्रफल लगभग 4 वर्ग किमी0 है। (क्षेत्रफल के आधार पर चिन्हित नक्सा संलग्न)

15. स्वरोजगार को प्रोत्साहित किये जाने के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर पंजीकृत सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल आदि को टिहरी जलाशय में मिलने वाली जलधाराओं में एग्लिग द्वारा मत्स्य आखेट हेतु ठेका नीलामी/निविदा/बोली के आधार पर आंवटित किया जायेगा। इस हेतु बीट का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

16. सम्बन्धित टेकेदार/समिति सरकार द्वारा नियत मानकानुसार ही एक सप्ताह/एक माह में मछलियों का शिकार कर सकेगा।

17. ठेकेदार द्वारा विभाग के अधिकारी के समक्ष मत्स्य बीज का संचय किया जायेगा। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा मत्स्य बीज का मूल्य तथा यातायात व्यय प्रतिवर्ष जमा किया जायेगा।

18. संविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् जमानत धनराशि वापस की जायेगी। यदि संविदा अवधि में ठेकेदार द्वारा जलाशयों की सम्पत्ति को कोई हानि पहुंचाई जाती है अथवा इस अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति/कटौती जमानत धनराशि से की जायेगी। यदि टिहरी जलाशयों की सम्पत्ति को पहुचाई गई हानि की धनराशि जमानत धनराशि से कटौती के उपरान्त भी अवशेष रहती है तो उसे ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के नामें राष्ट्रीयकृत बैक में जमा बैंक गारण्टी में से समायोजित किया जायेगा।

19. ठेकेदार द्वारा शिकारमाही हेतु केवल निर्धारित मानक के जालों का ही उपयोग किया जायेगा, जिससे कि एक कि0ग्रा0 भार से कम की सिल्वर कार्प, भारतीय मेजर कार्प, ग्रास कार्प/कार्प महाशीर की मछलियों को कोई क्षति न हो।

20. टिहरी जलाशयों में शिकारमाही 01 जुलाई से 31 अगस्त तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी, इसके उल्लंघन करने पर शिकारमाही की गई मछली का मूल्य व आर्थिक दण्ड के रूप में रू0 150/– प्रति किलोग्राम सहित सम्बन्धित ठेकेदार से तत्काल वसूल किया जायेगा। यदि इनकी

मात्रा 50 किलोग्राम से अधिक होगी तो अनुबंध निरस्त किये जाने पर भी निदेशक, मत्स्य विभाग द्वारा विचार किया जायेगा।

21. शासन/सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा किसी भी शर्तों/प्रतिबंधों के उल्लघंन की दशा में संविदा समाप्त मानते हुए शिकारमाही तत्काल बन्द कर दी जायेगी और उक्त अवधि की ठेके की धनराशि की किस्त यदि अवशेष रह जाती है तो उसका भुगतान ठेकेदारे द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के नामें राष्ट्रीयकृत बैक में जमा बैंक गारण्टी में से समायोजित कर किया जायेगा।
22. ठेका से सम्बन्धित कोई भी बकाया राशि भू राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जा सकेगी।
23. टिहरी जलाशय पर रखी गई किसी अन्य स्थान की मछली भी उसी टिहरी जलाशय विशेष की मछली समझी जायेगी।
24. शासन के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी ठेकेदार द्वारा शिकारमाही मछली की जांच जलाशय के किनारे उसके गोदाम या रास्ते में कर सकते है। संदेह एवं असंतोषजनक स्थिति में मछली तत्काल जब्त की जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जा सकेगी। टिहरी जलाशयों में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं के लिए सम्बन्धित ठेकेदार पर रू0 50000/–तक की धनराशि का जुर्माना एक समय में किया जा सकता है।
25. ठेकेदार द्वारा ठेके की अवधि में टिहरी जलाशय व उसके आस–पास के वातावरण की कोई क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी तथा मछलियों के अतिरिक्त अन्य जलजीवों को कोई क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी।
26. विभाग द्वारा प्रायोगिक शिकारमाही करने में ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
27. ठेकेदार यदि किसी कारणवश शिकारमाही बन्द करता है तो उसकी सूचना टिहरी जलाशय पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी को तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।
28. ठेकेदार अनुबन्ध निष्पादित करते समय अपने–अपने प्रतिनिधियों के हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र, रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर (अनुबन्धित) तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो प्रस्तुत करेंगे।
29. पंजीकृत सहकारी समिति को गत वर्ष में लाभ–हानि के खाते की प्रमाणित प्रतिलिपि, समिति की वित्तीय स्थिति, समिति द्वारा शर्तनामा भरने, धनराशि जमा करने, अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने तथा विभाग से पत्राचार करने हेतु अधिकृत व्यक्ति/पदाधिकारी के संबंध में समिति की बैठक के तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी आवश्यक होगी तथा समिति द्वारा दो–दो प्रतिनिधियों के नामों का प्रस्ताव फोटो सहित सत्यापित कर प्रस्तुत की जायेगी।
30. ठेकेदार द्वारा मजदूरी पर रखे गये शिकारियों को आज्ञा पत्र निर्गत करने, निरीक्षण करने तथा निरस्त करने का अधिकार टिहरी जलाशय पर पदस्थ विभाग के अधिकारी/कर्मचारी का होगा।
31. ठेकेदार को प्रतिदिन शिकारमाही की गई मछली निर्धारित स्थल पर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष निर्धारित समय पर तौलनी होगी और तौली गई मछली हेतु चालान की प्रति पर ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि को भी प्रतिदिन हस्ताक्षर करने होंगे।

32. सिंचाई विभाग व वन विभाग की सड़कों का उपयोग करने के लिए सम्बन्धित विभागों से अनुमति स्वंय ठेकेदार द्वारा प्राप्त की जायेगी।
33. शिकारमाही टिहरी जलाशय के सभी स्तरों पर करनी होगी, पानी का स्तर घटाने या बढ़ाने की कोई भी प्रार्थना उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। टिहरी जलाशयों में उपलब्ध जलीय वनस्पति की स्थिति के प्रति भी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
34. मत्स्य उत्पादन हेतु विभाग द्वारा शीत–संरक्षण, पोस्ट हार्वेस्टिंग व अन्य वैज्ञानिक विधियों से मत्स्य उत्पादन, संरक्षण कैनिंग इत्यादि अवस्थापनाएं स्थापित करने हेतु ठेकेदार को पूर्ण सहयोग करना होगा।
35. ठेकेदार और उसके प्रतिनिधि विभागों की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुँचायेंगे तथा इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के आदेश स्वीकार्य होंगे।
36. इस प्रपत्र में उल्लिखित उपरोक्त सभी शर्तें अनुबन्ध का भाग समझी जायेंगी।
37. टिहरी जलाशय में मत्स्य आखेट हेतु उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबंधन मत्स्य पालन एवं संग्रहण नियमावली, 2013 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा, जो कि नियमावली में दिये गये प्रतिबन्धों के अधीन होगा।
38. ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में मामला शासन द्वारा नियुक्त मध्यस्थ जो कि अपर सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी होगा, को संदर्भित किया जायेगा, मध्यस्थ की नियुक्ति शासन द्वारा आर्बीटेशन एण्ड कन्सीलिएशन एण्ट 1996 के प्राविधानों के तहत की जायेगी।

आज्ञा से,

(पी0एस0 जंगपांगी)
सचिव।